फर्द अहकाम

अनिल देवी बनाम कोमल

[illegible] (संचूर्ण प्रकीर्ण)

[illegible]

	वकील प्रार्थी उपस्थित। अभियोजित धा. 1, 3 तथा 16 की तामिल की हुई है जो अनुपूरक तामिल व हुक्का से संबंधित नहीं किन्तु विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अभियोजित धा. 2 पूर्व में न्यायालय ने अभियोजित पत्रावली वास्ते उचित आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 18/11/24 को पेश हो।	
18/11/24	वकील प्रार्थी उपस्थित. वकील प्रार्थी ने अवगत किया कि अभियोजित के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जा चुकी है। अतः न्यायालय आदेश दिनांक 23/8/2022 को जारी स्थगन आदेश को तामिलात मूल वाद स्थायी (confirm) किया जाना न्याय संगत है। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्य पर मनन किया गया। चूंकि मूल वाद बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है एवं अभियोजित के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण हस्तगत मामला एवं सुविधा का संतुलन का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित होता है। अतः न्यायालय आदेश दिनांक 23/8/22 को जारी स्थगन आदेश तामिलात मूल वाद स्थायी (confirm) किया जाता है। पत्रावली नियमित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कमशः एवं मूल वाद के अनुसार हो।	